प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 27 जून, 2025

विषय:- जिला कारागार, सन्त कबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 अलाउद्दीन पुत्र श्री सिराजुद्दीन निवासी जनपद-आजमगढ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-26788/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-08-08-2023) दिनांक-24-08-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सन्त कबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 अलाउद्दीन पुत्र श्री सिराजुद्दीन, जो कस्बा-जहानागंज, थाना-जहानागंज, जनपद-आजमगढ का निवासी है। पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 13.04.2007 को अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, रिवाल्वर व तमंचे से गोली मारकर वादी के पिता, भाई अकरम, चाचा फारूक व उनके लड़के इम्तियाज सहित 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी व 02 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-417/2007 व 423/2007, भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149, 452, 286, 504, 506 व 7 सी०एल०ए० एवं 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 22.12.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.07.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष, 02 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 11 माह, 25 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में आगे निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा में बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 13.04.2007 को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, रिवाल्वर व तमंचे से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी व 02 व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मो० अलाउद्दीन पुत्र श्री सिराजुद्दीन को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सन्त कबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 अलाउद्दीन (बन्दी संख्या-66/2023) पुत्र श्री सिराजुद्दीन निवासी जनपद-आजमगढ को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-647/2025/3419(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, संतकबीर नगर।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-647/2025/3419/22-2-2023-17(1220)/2023

दिनांक: 27 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, सन्त कबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 अलाउद्दीन पुत्र श्री सिराजुद्दीन, जो कस्बा-जहानागंज, थाना-जहानागंज, जनपद-आजमगढ का निवासी है। पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 13.04.2007 को अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, रिवाल्वर व तमंचे से गोली मारकर वादी के पिता, भाई अकरम, चाचा फारूक व उनके लड़के इम्तियाज सहित 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी व 02 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-417/2007 व 423/2007, भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149, 452, 286, 504, 506 व 7 सी०एल०ए० एवं 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 22.12.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.07.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष, 02 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 11 माह, 25 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में आगे निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा में बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 13.04.2007 को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, रिवाल्वर व तमंचे से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी व 02 व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मो० अलाउद्दीन पुत्र श्री सिराजुद्दीन को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।